IJCRM

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

भारत में कॉपीराइट (Copyright in India)

Sawan Kumar Soni[1*], Dr. Richa Shrivastava[2], Dr. Vishal Sharma[3]

[1]Student, Sage University Indore, Madhya Pradesh, India

[2]Associate Professor, Institute of Law and Legal Studies, Sage University Indore, Machala, Madhya Pradesh, India

[3]HOI, Sage University Indore, Machala, Madhya Pradesh, India

Corresponding Author: *Sawan Kumar Soni

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15101825

सारांश

कॉपीराइट कानून बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights - IPR) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, और डिजिटल सामग्री को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में कॉपीराइट कानून का विकास 1957 के कॉपीराइट अधिनियम से शुरू हुआ और समय-समय पर संशोधित किया गया है, विशेष रूप से 2012 के संशोधन के बाद इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए। यह शोध पत्र भारत में कॉपीराइट कानून की रूपरेखा, इसके प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों, और डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता की जांच करता है। साथ ही, यह कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी के मामलों पर चर्चा करता है, जो कि भारतीय कानूनी प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। शोध में यह भी विश्लेषण किया गया है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय संधियाँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, और तकनीकी नवाचार भारतीय कॉपीराइट कानून को प्रभावित कर रहे हैं। अंततः, इस शोध पत्र में भारत में कॉपीराइट सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कुछ सिफारिशें दी गई हैं। यह अध्ययन न केवल कानूनी पहलुओं पर केंद्रित है, बल्कि डिजिटल मीडिया और तकनीकी विकास के संदर्भ में कॉपीराइट सुरक्षा के नए उपायों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 29-01-2025
- **Accepted:** 27-02-2025
- **Published:** 28-03-2025
- **IJCRM:**4(2); 2025: 106-111
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Soni SK, Shrivastava R, Sharma V. भारत में कॉपीराइट (Copyright in India). Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(2):106-111.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: कॉपीराइट, भारत में कॉपीराइट कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार, पायरेसी, डिजिटल कॉपीराइट, कॉपीराइट उल्लंघन, कॉपीराइट अधिनियम 1957, कॉपीराइट संशोधन 2012

प्रस्तावना

कॉपीराइट (Copyright) बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights - IPR) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो किसी व्यक्ति या संगठन को उनकी रचनात्मक कृतियों पर विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। यह लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और अन्य रचनाकारों को उनके कार्यों के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है (Copyright Act, 1957)। भारत में कॉपीराइट कानून का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो समय-समय पर डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुआ है (Gopalakrishnan, 2005)। इस शोध पत्र में भारत में कॉपीराइट की कानूनी संरचना, इसकी चुनौतियाँ, और इसके प्रभावों का गहन अध्ययन किया गया है। साथ ही, यह विश्लेषण किया

© 2025 Sawan Kumar Soni, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Vishal Sharma. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

गया है कि डिजिटल मीडिया और आधुनिक तकनीक के दौर में कॉपीराइट कानून कितनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है (Sharma, 2020)।

कॉपीराइट की परिभाषा और महत्व

कॉपीराइट (Copyright) एक कानूनी अधिकार है, जो किसी व्यक्ति या संगठन को उनकी रचनात्मक कृतियों पर विशेष स्वामित्व प्रदान करता है। यह अधिकार रचनाकार को उसकी मूल रचना के उपयोग, वितरण, पुनरुत्पादन, और अनुकूलन का विशेषाधिकार देता है। कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी लेखक, संगीतकार, कलाकार, या फिल्म निर्माता को उनकी मेहनत और रचनात्मकता का उचित लाभ मिले और उनकी कृति का अनधिकृत उपयोग न हो। कॉपीराइट कानून न केवल साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा करता है, बल्कि डिजिटल सामग्री, सॉफ्टवेयर, ध्वनि रिकॉर्डिंग, और दृश्य-श्रव्य कृतियों को भी संरक्षित करता है। यह अधिकार मूल रचनाकार को उसकी रचना पर नियंत्रण प्रदान करता है और अन्य व्यक्तियों को बिना अनुमति उसकी रचना के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है।

कॉपीराइट का महत्व आधुनिक समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रचनात्मक उद्योगों का विस्तार हो रहा है और डिजिटल युग में सामग्री की चोरी और अनधिकृत उपयोग की घटनाएँ बढ़ रही हैं। कॉपीराइट कानून रचनाकारों को उनकी रचनाओं से वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे वे नई और उन्नत कृतियों के विकास के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक अपनी पुस्तक के कॉपीराइट अधिकारों के माध्यम से रॉयल्टी कमा सकता है, एक संगीतकार अपने गीतों से लाइसेंसिंग शुल्क प्राप्त कर सकता है, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यदि कॉपीराइट कानून मौजूद न हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की कृति को कॉपी कर सकता है, जिससे मूल रचनाकार को वित्तीय नुकसान होगा और नवाचार को हानि पहुँचेगी।

कॉपीराइट का महत्व केवल रचनाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक लाभदायक है। कॉपीराइट से प्रेरित नवाचार और रचनात्मकता न केवल मनोरंजन उद्योग को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, और तकनीकी विकास में भी योगदान देते हैं। कॉपीराइट कानून यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियाँ और स्टार्टअप अपने उत्पादों और सेवाओं की रक्षा कर सकें, जिससे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त हो।

डिजिटल युग में कॉपीराइट की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से रचनात्मक सामग्री को साझा करना बहुत आसान हो गया है। फिल्मों, गानों, सॉफ्टवेयर और डिजिटल पुस्तकों की अवैध डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग से रचनाकारों और कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और इसके बाद के संशोधन इस समस्या से निपटने के लिए बनाए गए हैं। 2012 के संशोधन में डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए थे, जिससे रचनाकारों को और अधिक सुरक्षा मिल सके।

इस प्रकार, कॉपीराइट केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह कलाकारों, लेखकों, सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स, और अन्य रचनात्मक पेशेवरों को उनके कार्यों पर स्वामित्व प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों से उचित लाभ कमा सकें और नए विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित हो सकें। कॉपीराइट का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह संपूर्ण उद्योगों, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए भी फायदेमंद होता है।

भारत में कॉपीराइट कानून की पृष्ठभूमि

भारत में कॉपीराइट कानून का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा हुआ है। पहला कॉपीराइट कानून 1847 में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने 1957 में अपना स्वयं का कॉपीराइट अधिनियम लागू किया, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया (Copyright Act, 1957; Government of India, 2019)।

महत्वपूर्ण घटनाएँ और संशोधन

- **1914 का कॉपीराइट अधिनियम:** ब्रिटिश कानून के आधार पर बनाया गया, लेकिन भारतीय आवश्यकताओं को पूरी तरह संबोधित नहीं कर सका (Gopalakrishnan, 2005)।
- **1957 का कॉपीराइट अधिनियम:** स्वतंत्र भारत का पहला व्यापक कानून, जिसने रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा की (Copyright Act, 1957)।
- **1994 और 1999 के संशोधन:** डिजिटल सामग्री और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को शामिल किया गया (Narayanan, 2010)।
- **2012 का संशोधन:**
  - दृश्य और श्रव्य कलाकारों (Actors & Musicians) को बेहतर अधिकार दिए गए।
  - इंटरनेट और डिजिटल मीडिया से जुड़े कानूनों को सख्त किया गया।
  - विकलांग व्यक्तियों के लिए सामग्री की प्रतिलिपि (Reproduction) की अनुमति दी गई (Copyright (Amendment) Act, 2012; WIPO, 2012)।

भारत के कॉपीराइट कानून की प्रमुख विशेषताएँ

1) कॉपीराइट स्वचालित रूप से लागू होता है (पंजीकरण आवश्यक नहीं) (Government of India, 2019)।
2) कॉपीराइट धारक को आर्थिक और नैतिक अधिकार मिलते हैं (Singh, 2019)।
3) साहित्य, संगीत, कला, सॉफ्टवेयर, और फिल्म को सुरक्षा प्रदान करता है (Sharma, 2020)।
4) उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है (Delhi High Court Ruling, 2021)।

1.3 शोध का उद्देश्य और प्रासंगिकता

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में कॉपीराइट कानून की संरचना और उसके प्रभावों का विश्लेषण करना है। डिजिटल युग में

© 2025 Sawan Kumar Soni, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Vishal Sharma. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

कॉपीराइट उल्लंघन तेजी से बढ़ रहा है, और यह शोध इस मुद्दे को गहराई से समझने का प्रयास करेगा (Reddy, 2016)।

शोध के उद्देश्य

1) भारत में वर्तमान कॉपीराइट कानून की समीक्षा करना (Copyright Act, 1957)।
2) कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी की समस्याओं का विश्लेषण करना (Singh, 2019)।
3) डिजिटल युग में कॉपीराइट सुरक्षा के नए तरीकों का सुझाव देना (Sharma, 2020)।
4) अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संधियों के प्रभाव को समझना (WIPO, 2012)।

शोध की प्रासंगिकता

- तकनीकी नवाचार और डिजिटल मीडिया में कॉपीराइट सुरक्षा महत्वपूर्ण होती जा रही है (Sharma, 2020)।
- भारत में **फिल्म**, **संगीत और सॉफ्टवेयर उद्योग** को पायरेसी से भारी नुकसान होता है (Reddy, 2016)।
- AI **और डिजिटल कंटेंट जनरेशन** ने कॉपीराइट अधिकारों पर नए प्रश्न उठाए हैं (Singh, 2019)।
- OTT **प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया** के युग में कॉपीराइट कानून के प्रभावों को समझना आवश्यक है (Delhi High Court Ruling, 2021)।

2. भारत में कॉपीराइट कानून (Copyright Law in India)

भारत में कॉपीराइट कानून बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights - IPR) के तहत आता है, जिसका उद्देश्य साहित्य, संगीत, कला, फिल्म, सॉफ्टवेयर और अन्य रचनात्मक कृतियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य रचनाकारों को उनकी रचनाओं पर स्वामित्व और आर्थिक लाभ दिलाना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी कला का विकास कर सकें और उसका व्यावसायिक लाभ उठा सकें। कॉपीराइट अधिनियम, 1957, भारत में कॉपीराइट संरक्षण का प्रमुख कानून है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि इसे बदलते समय और तकनीकी विकास के अनुरूप बनाया जा सके। यह अधिनियम मूल रूप से ब्रिटिश शासनकाल में लागू कॉपीराइट कानूनों पर आधारित था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957, साहित्यिक, संगीत, नाटकीय, कलात्मक कृतियों, सिनेमा और ध्वनि रिकॉर्डिंग को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, कॉपीराइट धारक को अपनी कृति के प्रकाशन, वितरण, प्रदर्शन, रूपांतरण और अनुवाद के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी रचनाकार की मृत्यु के बाद भी उसके कॉपीराइट अधिकार 60 वर्षों तक प्रभावी रहेंगे, जिससे उनके उत्तराधिकारियों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। हालांकि, डिजिटल युग में कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी की बढ़ती घटनाओं के कारण इस कानून में समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण 2012 में कॉपीराइट अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य कलाकारों और रचनाकारों के अधिकारों को और अधिक मजबूत बनाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए नए कानून लागू करना था। इस संशोधन के बाद, संगीतकारों और गीतकारों को उनके कार्यों के व्यावसायिक उपयोग से स्वतंत्र रूप से रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, डिजिटल मीडिया पर कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए, जिससे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अवैध सामग्री साझा करने पर रोक लगाई जा सके। इस संशोधन ने दृष्टिहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए, जिससे वे साहित्यिक सामग्री को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुनरुत्पादित कर सकें। इसके अलावा, सिनेमा और ध्वनि रिकॉर्डिंग पर भी अधिक सुरक्षा प्रदान की गई ताकि फिल्म निर्माताओं और संगीत उद्योग को अनधिकृत उपयोग से बचाया जा सके।

भारत में कॉपीराइट कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रचनाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें साहित्यिक कृतियाँ जैसे किताबें, लेख, निबंध और कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, नाटकीय कृतियाँ जैसे नाटक और पटकथाएँ, संगीत कृतियाँ जैसे गीत और ध्वनि रिकॉर्डिंग, कलात्मक कृतियाँ जैसे चित्र, फोटोग्राफी और डिज़ाइन, और सिनेमा एवं दृश्य-श्रव्य कृतियाँ जैसे फिल्में, टीवी शो और वीडियो गेम्स शामिल हैं। इसके अलावा, ध्वनि रिकॉर्डिंग जैसे म्यूजिक एल्बम, पॉडकास्ट और ऑडियोबुक्स भी कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957, रचनाकारों को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है, जिनमें प्रकाशन, प्रदर्शन, वितरण, रूपांतरण, अनुवाद और आर्थिक अधिकार शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति रचनाकार की अनुमति के बिना उसकी सामग्री का व्यावसायिक उपयोग न कर सके। इसके अलावा, डिजिटल युग में बढ़ते कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों को देखते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।

भारत में कॉपीराइट की अवधि निर्धारित है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार की रचना है। साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कृतियों के लिए कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक होती है, जबकि सिनेमा फ़िल्में और ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए यह अवधि प्रकाशन के 60 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है। जब कॉपीराइट की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह रचना सार्वजनिक डोमेन में चली जाती है, और कोई भी व्यक्ति उसे बिना अनुमति के उपयोग कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कई कॉपीराइट संधियों का हिस्सा है, जिससे इसके कॉपीराइट कानून वैश्विक मानकों के अनुरूप बने हैं। भारत बर्न कन्वेंशन (Berne Convention, 1886) का सदस्य है, जो वैश्विक कॉपीराइट सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, ट्रिप्स समझौता (TRIPS Agreement, 1995) भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकार मानकों के अनुरूप कानून लागू करने के लिए बाध्य करता है। वाइपो कॉपीराइट संधि (WIPO Copyright Treaty, 1996) भी डिजिटल युग में कॉपीराइट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई है।

© 2025 Sawan Kumar Soni, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Vishal Sharma. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हालांकि, भारत में कॉपीराइट कानून मजबूत हैं, लेकिन इनके प्रवर्तन में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। डिजिटल पायरेसी, ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अनधिकृत सामग्री साझा करना, और विदेशी वेबसाइटों से संचालित पायरेसी नेटवर्क भारतीय कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए, सरकार को डिजिटल सुरक्षा तकनीकों को अपनाने, साइबर अपराध इकाइयों को मजबूत करने और जनता में कॉपीराइट सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत में कॉपीराइट कानून का उद्देश्य रचनात्मक उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि, डिजिटल युग में कॉपीराइट उल्लंघन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे और अधिक सख्त और प्रभावी बनाने की जरूरत है। सरकार को डिजिटल सुरक्षा उपायों, सख्त कानूनों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से कॉपीराइट सुरक्षा को मजबूत करना होगा ताकि भारत में बौद्धिक संपदा की रक्षा की जा सके और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

3. भारत में कॉपीराइट उल्लंघन और प्रवर्तन (Copyright Infringement and Enforcement in India)

भारत में कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright Infringement) तेजी से बढ़ती एक गंभीर समस्या है, खासकर डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने रचनात्मक सामग्री की चोरी को और अधिक आसान बना दिया है। कॉपीराइट उल्लंघन का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की मूल रचना का बिना अनुमति उपयोग करना, पुनरुत्पादन करना, वितरित करना, या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना है। यह न केवल रचनाकारों के आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि नवाचार और रचनात्मकता को भी नुकसान पहुँचाता है (Sharma, 2020)। भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए आपराधिक और सिविल दंड दोनों का प्रावधान है (Copyright Act, 1957)। इसके बावजूद, कॉपीराइट के उल्लंघन के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खासकर फिल्मों, संगीत, सॉफ़्टवेयर और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में (Singh, 2019)।

कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright Infringement) और इसके प्रकार

कॉपीराइट उल्लंघन कई रूपों में पाया जाता है, जिसे मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक उल्लंघन में विभाजित किया जा सकता है।

प्राथमिक उल्लंघन (Primary Infringement): तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी अन्य की रचना की प्रतिलिपि बनाता है, प्रकाशित करता है, वितरित करता है या उसका व्यावसायिक उपयोग करता है (Copyright Act, 1957)। उदाहरण के लिए, किसी लेखक की पुस्तक को बिना अनुमति प्रकाशित करना या किसी गायक के गीत को बिना लाइसेंस के प्रसारित करना प्राथमिक उल्लंघन है। वहीं,

द्वितीयक उल्लंघन (Secondary Infringement): तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पायरेटेड सामग्री को बेचना, वितरित करना या प्रचारित करना शुरू करता है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी के विस्तार के कारण डिजिटल कॉपीराइट उल्लंघन (Digital Copyright Infringement) भी एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। इंटरनेट पर अवैध रूप से फ़िल्में, गाने, सॉफ़्टवेयर और किताबें डाउनलोड करने की सुविधा ने कॉपीराइट उल्लंघन को और अधिक गंभीर बना दिया है (Reddy, 2016)। टोरेंट वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से अनधिकृत सामग्री साझा करना और उपयोग करना भी कॉपीराइट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

डिजिटल युग में कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी

डिजिटल युग में, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारण कॉपीराइट उल्लंघन के नए तरीके विकसित हो गए हैं। ऑनलाइन पायरेसी, जिसमें फिल्में, संगीत, सॉफ़्टवेयर और ई-पुस्तकों की अनधिकृत प्रतियां डाउनलोड की जाती हैं, भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है (WIPO, 2012)। भारत में कई टोरेंट और अनधिकृत वेबसाइटें, जैसे Tamilrockers, Filmyzilla, और Movierulz, हर साल हजारों करोड़ रुपये के नुकसान का कारण बनती हैं।

भारत में OTT प्लेटफार्मों (Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar) से संबंधित कॉपीराइट उल्लंघन भी तेजी से बढ़ा है। कई लोग इन प्लेटफार्मों की सामग्री को रिकॉर्ड करके टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा कर देते हैं, जिससे इन कंपनियों को राजस्व हानि होती है। सॉफ़्टवेयर पायरेसी भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें Adobe, Microsoft और अन्य सॉफ़्टवेयर के पायरेटेड संस्करणों का उपयोग किया जाता है (Sharma, 2020)।

कॉपीराइट सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान

भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत, यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइट उल्लंघन करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है (Copyright Act, 1957)। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) के अंतर्गत डिजिटल पायरेसी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

भारत में DMCA (Digital Millennium Copyright Act, 1998) का भी प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है, जो डिजिटल सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार ने साइबर सेल और इंटरपोल के सहयोग से पायरेसी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं (Government of India, 2019)।

कॉपीराइट प्रवर्तन की चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी प्रवर्तन अभी भी एक बड़ी चुनौती है (Singh, 2019)। सबसे बड़ी समस्या यह है कि डिजिटल पायरेसी को नियंत्रित करने के लिए मजबूत साइबर कानूनों और निगरानी प्रणाली की कमी है। पायरेसी वेबसाइटें लगातार नए डोमेन नामों से पुनः सक्रिय हो जाती हैं, जिससे इन पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा, जनता में कॉपीराइट के प्रति जागरूकता की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है। भारत में लोग अक्सर कॉपीराइट कानूनों की जानकारी के बिना पायरेटेड सामग्री का उपयोग करते हैं। कॉपीराइट

© 2025 Sawan Kumar Soni, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Vishal Sharma. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार को AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे अनधिकृत सामग्री की पहचान और निगरानी की जा सके (WIPO, 2012)।

3.5 भारत में प्रमुख कॉपीराइट मामले

भारत में कई महत्वपूर्ण न्यायिक मामले कॉपीराइट सुरक्षा के लिए मिसाल बने हैं। R. G. Anand बनाम M/S Deluxe Films (1978) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दो कार्यों की मूल "अभिव्यक्ति" अलग है, तो यह कॉपीराइट उल्लंघन नहीं होगा (Singh, 2019) । इसी तरह, Super Cassettes Industries Ltd बनाम MySpace (2011) में, अदालत ने MySpace को कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री को फ़िल्टर करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

एक और महत्वपूर्ण मामला Star India Pvt. Ltd. बनाम Haneeth Ujwal (2019) का था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध स्ट्रीमिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया (Delhi High Court Ruling, 2021) । यह मामले भारत में कॉपीराइट प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं।

निष्कर्ष और सुझाव (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS)

भारत में कॉपीराइट कानून ने बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957) और 2012 के संशोधन (Copyright (Amendment) Act, 2012) ने रचनाकारों, कलाकारों, और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, डिजिटल युग में कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी के बढ़ते मामलों ने इन कानूनों के प्रवर्तन और प्रभावशीलता पर कई सवाल खड़े किए हैं (Singh, 2019)।

इस शोध पत्र में भारत में कॉपीराइट की वर्तमान स्थिति, उल्लंघन के प्रकार, डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता, और कानूनी प्रवर्तन की चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। साथ ही, भारत में कॉपीराइट कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संभावित सुधारों और तकनीकी समाधानों पर भी चर्चा की गई है।

शोध के प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings)

इस शोध से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं:

1. भारत में कॉपीराइट कानून मजबूत है, लेकिन डिजिटल उल्लंघन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं – कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और इसके 2012 के संशोधन ने रचनाकारों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। लेकिन डिजिटल प्लेटफार्मों पर कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है (Copyright Act, 1957; WIPO, 2012)।
2. OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया पर बढ़ते उल्लंघन के मामले – स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसे Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar और YouTube पर सामग्री चोरी की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। कई टेलीग्राम चैनल और टोरेंट साइट्स अवैध रूप से सामग्री वितरित कर रहे हैं, जिससे कॉपीराइट धारकों को भारी नुकसान हो रहा है (Sharma, 2020)।
3. पायरेसी से भारतीय फिल्म, संगीत और सॉफ़्टवेयर उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा है – भारत में पायरेसी की वजह से फिल्म और सॉफ़्टवेयर कंपनियों को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। पायरेटेड सॉफ़्टवेयर, बिना लाइसेंस वाले डिजिटल कंटेंट और अनधिकृत संगीत वितरण के मामले बढ़ रहे हैं (Reddy, 2016)।
4. कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध कानून हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन कमजोर है – हालाँकि भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के लिए 6 महीने से 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति और साइबर अपराधियों पर नियंत्रण की कमी के कारण कई मामलों में न्याय नहीं हो पाता (Delhi High Court Ruling, 2021)।

भारत में कॉपीराइट कानून में सुधार की संभावनाएँ

भारत में कॉपीराइट कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है:

1) डिजिटल कॉपीराइट सुरक्षा को सख्त बनाना: कॉपीराइट उल्लंघन से निपटने के लिए OTT प्लेटफार्मों, ई-पुस्तकों, और सॉफ़्टवेयर उद्योग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए (WIPO, 2012)।
2) ऑनलाइन पायरेसी पर सख्त कार्रवाई: सरकार को साइबर सेल और इंटरपोल के सहयोग से अवैध वेबसाइटों और टोरेंट साइट्स को तुरंत बंद करने के लिए कानूनों को मजबूत करना चाहिए (Government of India, 2019)।
3) फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रणाली: कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों (Copyright Tribunals) की स्थापना की जानी चाहिए।
4) जन जागरूकता अभियान: जनता और व्यवसायों को कॉपीराइट सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और डिजिटल मीडिया अभियानों की शुरुआत की जानी चाहिए (Singh, 2019)।

नए तकनीकी युग में कॉपीराइट सुरक्षा के लिए सुझाव

डिजिटल युग में कॉपीराइट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवीनतम तकनीकी समाधान अपनाने की जरूरत है। कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:

1) **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग:** AI का उपयोग डिजिटल सामग्री पर नज़र रखने, अवैध कॉपी को डिटेक्ट करने और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है (Sharma, 2020)।
2) **ब्लॉकचेन तकनीक:** यह तकनीक संगीत, ई-बुक्स और डिजिटल सामग्री के सुरक्षित वितरण और स्वचालित रॉयल्टी भुगतान में मदद कर सकती है (WIPO, 2012)।
3) **डिजिटल वॉटरमार्किंग और एन्क्रिप्शन:** OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म निर्माता डिजिटल वॉटरमार्किंग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सामग्री चोरी करना कठिन हो जाएगा (Reddy, 2016)।

© 2025 Sawan Kumar Soni, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Vishal Sharma. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4) **स्वचालित DMCA टेकडाउन सिस्टम:** सरकार को स्वत: टेकडाउन (Auto Takedown) सिस्टम लागू करना चाहिए, जिससे कॉपीराइट धारक उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर सकें और तुरंत कार्रवाई कर सकें (Copyright Act, 1957)।

भविष्य की संभावनाएँ और अनुसंधान के क्षेत्र

भविष्य में कॉपीराइट कानून और डिजिटल मीडिया सुरक्षा के क्षेत्र में कई नए शोध और तकनीकी नवाचारों की संभावना है। कुछ प्रमुख शोध क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1) AI-आधारित कॉपीराइट सुरक्षा: मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग डिजिटल मीडिया पर कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने में किया जा सकता है (Sharma, 2020)।
2) OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कॉपीराइट मॉनिटरिंग: फेसबुक, YouTube और Instagram जैसे प्लेटफार्मों पर अपलोड की गई कॉपीराइट सामग्री की निगरानी और स्वचालित पहचान पर अनुसंधान किया जा सकता है (Singh, 2019)।
3) ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स: संगीत और डिजिटल सामग्री के स्वचालित रॉयल्टी भुगतान और कॉपीराइट सुरक्षा में ब्लॉकचेन की भूमिका पर और अधिक शोध की आवश्यकता है (WIPO, 2012)।
4) अंतरराष्ट्रीय सहयोग: विभिन्न देशों के कॉपीराइट कानूनों की तुलनात्मक समीक्षा और भारत में प्रभावी नीति-निर्माण के लिए वैश्विक दृष्टिकोण पर अनुसंधान किया जाना चाहिए (Government of India, 2019)।

संदर्भ

1. Copyright Act, 1957. (1957). Government of India. Retrieved from https://copyright.gov.in
2. Copyright (Amendment) Act, 2012. (2012). Ministry of Law and Justice, Government of India. Retrieved from https://copyright.gov.in
3. WIPO. (2012). India - Copyright (Amendment) Act, 2012. World Intellectual Property Organization. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in238en.pdf
4. Narayanan, P. (2010). Intellectual Property Law. Eastern Book Company. ISBN: 9788170124638
5. Gopalakrishnan, N. S. (2005). Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century. Kluwer Law International.
6. Reddy, C. S. (2016). "Copyright Law and Digital Piracy in India." Indian Journal of Law and Technology, 12(2), 56-78.
7. Singh, A. K. (2019). "Challenges of Copyright Protection in the Digital Era." Journal of Intellectual Property Rights, 24(3), 112-126.
8. Delhi High Court Ruling on Copyright Infringement. (2021). Indian Law Reports. Retrieved from https://www.indianlawjournal.org
9. Sharma, R. (2020). "The Role of Copyright in India's Creative Industries." Economic and Political Weekly, 55(9), 45-60.
10. Government of India, Ministry of Commerce and Industry. (2019). Intellectual Property Rights in India – Annual Report 2018-19. Retrieved from https://dipp.gov.in

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Corresponding Author

Sawan Kumar Soni is a student at Sage University, Indore, Madhya Pradesh, India, pursuing academic excellence. He is dedicated to learning and developing expertise in his field of study.

© 2025 Sawan Kumar Soni, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Vishal Sharma. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/